कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक– KVK/KTP/नि./डाईवर/2016–17/37-44 दिनांक 22-06-2016

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण ड्राईविंग लाईसेन्स धारकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्र फार्म पर ट्रेक्टर व बोलेरो जीप चलाने हेतु ड्राईवर के लिए सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छूक व्यक्ति कार्य{म समन्वयक से कार्यालय समय में प्रपत्र प्राप्त कर निविदा दिनांक 29/06/2016 को 12.30 बजे तक कार्यालय में जमा करा देंवे। निविदायें 29/06/2016 को 3 बजे निविदा कमेटी के सामने खोली जायेगी। नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र में देखें। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
KOTPUTLI - Jaipur

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर।
2. इनचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से अनुरोध है कि इस निविदा का विवरण वेबसाइट www.sknau.ac. पर अपलोड कर प्रसार करने का श्रम करें।
3. सूचना पट्ट कार्यालय
4. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत गोनेड़ा
5. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत पनियाला
6. सूचना पट्ट पंचायत समिति कोटपूतली।
7. सूचना पट्ट नगरपालिका कोटपूतली।
8. रक्षित पत्रावली।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
KOTPUTLI - Jaipur

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा सूचना क्रमांक– KVK/KTP/2016–17/37-44 दिनांक 22-06-2016

योजना का नाम – ड्राईवर आपूर्ति के लिए

कार्य की अनुमानित अवधि – जुलाई 2016 से मार्च 2017

धरोहर राशि – 1000 रूपये

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दर/माह (रूपये)	हस्ताक्षर
1.	केन्द्र की जीप व ट्रेक्टर चलाने का कार्य		

शर्ते :–

1. वाहन कार्यक्रम समन्वयक के आदेशानुसार चलाना होगा।
2. ड्राईवर का ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रतिलिपि जमा कराना होगा। निविदा अवधि एवं अवधि समाप्त होने पर केन्द्र किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. ड्राईवर का कार्य के प्रति लापरवाही करने पर स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. यह निविदा सत्र 2016–17 के लिए होगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता व पता

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक– KVK/KTP/2016–17/नि./45-52 दिनांक 22-06-2016

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र के कार्यालय की साफ सफाई, प्रशिक्षणों के दौरान साफ सफाई एवं प्रदर्शन इकाईयों पर कार्य करने हेतु मजदूर आपूर्ति के लिए सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है। नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र में देखें। यह कार्यालय समय में कार्यक्रम समन्वयक से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र भरतर कार्यालय में दिनांक 29/06/2016 को दोपहर 1 बजे तक जमा करावें। निविदा उसी दिन 29/06/2016 को निविदा कमेटी के सामने सायं 4 बजे खोली जायेंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
KOTPUTLI - Jaipur

प्रतिलिपि –

1. निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर।
2. इनचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से अनुरोध है कि इस निविदा का विवरण वेबसाइट www.sknau.ac. पर अपलोड कर प्रसार करने का श्रम करें।
3. सूचना पट्ट कार्यालय
4. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत गोनेड़ा
5. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत पनियाला
6. सूचना पट्ट पंचायत समिति कोटपूतली।
7. सूचना पट्ट नगरपालिका कोटपूतली।
8. रक्षित पत्रावली।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
KOTPUTLI - Jaipur

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा सूचना क्रमांक–KVK/KTP/2016-17/45-52 दिनांक 22-06-2016

योजना का नाम – मजदूर आपूर्ति के लिए

कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा, कोटपूतली, जिला– जयपुर

कार्य की अनुमानित अवधि – जुलाई 2016 से मार्च 2017

धरोहर राशि – रूपये 1000/– एक हजार रूपये

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित दर	निविदादाता द्वारा मांगी गई दर	हस्ताक्षर
1	केन्द्र कार्यालय एवं आस पास सफाई व्यवस्था, प्रशिक्षणों के दौरान पानी, एवं सफाई व्यवस्था केन्द्र फार्म सुधार एवं प्रदर्शन इकाईयों का कार्य आदि।	न्यूनतम दर रू. 189/– मजदूरी (8 घण्टे)		

<u>नियम व शर्ते :–</u>

1. मजदूर मांग के अनुसार उपलब्ध कराने होंगे।
2. मजदूर आपूर्ति समय पर नहीं होने पर पहले का भुगतान देय नहीं होगा व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. निविदादाता फार्म/ कार्यालय की अवैध गतिविधियों में संलग्न होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार कार्यक्रम समन्वयक को होगा।
4. प्रथम वरीयता पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर अगली वरीयता प्राप्त पार्टी को कार्य आदेश कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिया जा सकेगा।

5. फार्म/कार्यालय के दौरान दुर्घटना होने पर केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा यह जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. जमा अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
7. आवास की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। कार्यलय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
8. सभी कार्य कार्यक्रम समन्वयक के आदेशानुसार करने होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम एवं पता..

....

....

....

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक– KVK/KTP/2016–17/नि./53-60 दिनांक 23-06-2016

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र पर आयोजित आवासीय एवं गैर आवासीय कृषक प्रशिक्षणों में किसानों के लिए चाय, नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था हेतु सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है। नियम व शर्ते प्रपत्र में देखें। प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यक्रम समन्वयक से प्राप्त कर सकते है। प्रपत्र दिनांक 30/06/2016 को 12 बजे तक उपलब्ध होगे तथा उसी दिन 30/06/2016 को दोपहर 1 बजे तक निविदा जमा करानी होगी। दिनांक 30/06/2016 को सायं 4 बजे निविदा कमेटी के सामने निविदायें खोली जायेंगी।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
KOTPUTLI - Jaipur

प्रतिलिपि –

1. निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर।
2. इनचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से अनुरोध है कि इस निविदा का विवरण वेबसाइट www.sknau.ac. पर अपलोड कर प्रसार करने का श्रम करें।
3. सूचना पट्ट कार्यालय
4. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत गोनेड़ा
5. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत पनियाला
6. सूचना पट्ट पंचायत समिति कोटपूतली।
7. सूचना पट्ट नगरपालिका कोटपूतली।
8. रक्षित पत्रावली।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
KOTPUTLI - Jaipur

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा सूचना क्रमांक– KVK/KTD/MT/2016-17/53-60 दिनांक 23-06-2016

निविदा – कृषक प्रशिक्षणों में चाय, नाश्ता व भोजना व्यवस्था

कार्य की अवधि – वित्त वर्ष 2016–17

निविदादाता प्रशिक्षणों में मीनू विवरण अनुसार चाय, नाश्ता व भोजन (एक समय व दोनों समय) के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दर प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	प्रशिक्षण विवरण	मीनू विवरण	दर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
1.	गैर आवासीय (अधिकतम दर 40/–) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	सुबह चाय, दोपहर– भोजन (पूड़ी, सब्जी, आचार)	
2.	आवासीय प्रशिक्षण (अधिकतम दर 75/–) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	सुबह–8 बजे– चाय, पराठा/ कचोरी/ समोसा दोपहर– भोजन (पूड़ी, सब्जी, सलाद) सायं – 4 बजे – चाय रात्रि – रोटी, सब्जी, दाल, चावल	
3.	आवासीय प्रशिक्षण (अधिकतम दर 150/–) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	सुबह 6 बजे– चाय सुबह 8 बजे– चाय, पराठा, दही, आचार, फल दोपहर– भोजन (पूड़ी/रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, रायता व दो लड्डू) सायं – 4 बजे – चाय, बिस्कूट रात्रि – रोटी, हरी सब्जी, दाल, चावल, सलाद व दो लड्डू	
4.	अन्य कृषि प्रसार गतिविधियों में जलपान व्यवस्था (अधिकतम 25 रू प्रति व्यक्ति)	चाय, बिस्कूट,/कचौडी, दो लड्डू/बूंदी, नमकीन	

हस्ताक्षर निविदादाता

नियम व शर्ते :–

1. निविदादाता को मीनू विवरण के अनुसार अलग– अलग दर दर्शानी होगी।
2. निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में 1000 रूप्ये (एक हजार रू) नकद जमा कराने होंगे। इस जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
3. निविदादाता के पास पेन कार्ड/लाईसेन्स/पहचान पत्र आदि होना आवश्यक है।
4. निविदादाता को प्रशिक्षण के दौरान खाना ताजा, शुद्ध, स्वादिष्ट, पौष्टिक व गुणवत्तायुक्त देना होगा।
5. निविदादाता को खाना उपलब्ध हेतु प्रशिक्षण के दो दिन पहले सूचित कर दिया जावेगा।
6. खाना बनाने एवं खाना खिलाने के बर्तन व अन्य आवश्यक सामान निविदादाता के होंगे।
7. निविदादाता को सफाई व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
8. निविदादाता को भुगतान कृषकों की संख्या के अनुसार चैक द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त किया जावेगा।
9. खाने की गुणवत्ता की जांच समय समय पर केन्द्र द्वारा गठित कमेटी करेगी। खाना दोषयुक्त पाये जाने पर निविदा को निरस्त करने या उचित निर्णय करने हेतु कमेटी अपनी रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रेषित करेगी।
10. निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता से ही होगा।

कार्यक्रम समन्वयक
कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा
कोटपूतली, जिला– जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम..
पता ....
....
....
टेलीफोन नं. –..

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक– KVK/KTP/2016–17 / नि. / 61-68 दिनांक 23-06-2016

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र फार्म पर लगभग 8–9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ 2016 के लिए हिस्सा आधारित खेती के लिए सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छूक व्यक्ति केन्द्र पर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता से दिनांक 30 / 06 / 2016 प्रातः 11 बजे तक प्रपत्र प्राप्त कर सकते है तथा दोपहर 12.30 बजे तक जमा कराने होगे। निविदा उसी दिन 30 / 06 / 2016 को दोपहर 3 बजे निविदा कमेटी के सामने खोली जायेंगी। नियम व शर्ते प्रपत्र में उपलब्ध है। निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
KOTPUTLI - Jaipur

प्रतिलिपि –

1. निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर।
2. इनचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से अनुरोध है कि इस निविदा का विवरण वेबसाइट www.sknau.ac. पर अपलोड कर प्रसार करने का श्रम करें।
3. सूचना पट्ट कार्यालय
4. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत गोनेड़ा
5. सूचना पट्ट ग्राम पंचायत पनियाला
6. सूचना पट्ट पंचायत समिति कोटपूतली।
7. सूचना पट्ट नगरपालिका कोटपूतली।
8. रक्षित पत्रावली।

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
KOTPUTLI - Jaipur

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा सूचना क्रमांक– KVK/KTP/2016–17 / 61-68 दिनांक 23-06-2016

1. योजना का नाम		हिस्सा आधारित खेती	
2. बजट हेड		रिवोल्विंग फंड	
3. कार्य की अनुमानित अवधि		खरीफ 2016	
4. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि		5000/– रूपये	
5. निविदादाता/कॉन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण –			
क्र.सं.	विवरण	हिस्सेदारी	
1.	चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
2.	दाना/बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जोने वाला हिस्सा	

निविदा शर्ते :–

1.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनमें सम्बन्धित डीजल खर्च में निविदादाता का कोई येागदान नहीं रहेगा।.
2.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रति है कार्यक्रम समन्वयक की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगा।
3.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमित व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
4.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।
5.	निविदादाता को दिया जाने वाला उपज का हिस्सा जिन्स या रूपये के रूप में दिये जाने का निर्णय कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा व निविदादाता को पूर्ण मान्य होगा। थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद कॉन्ट्रेक्टर को थ्रेसिंग के समय उपज मंडी के 7 दिन (एक सप्ताह) के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

6	फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप कांटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर कार्यक्रम समन्वयक व क्रेन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने है इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए फसल इक्कठा करने के लिए ट्रेक्टर ट्रोली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शते केन्द्र के लिए बाध्य नहीं होगी।
8	निराई, गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर व कार्यक्रम समन्वयक को होगा।
9	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म भरकर मैनेजर व कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में गोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमीं एवं कचरा का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
10	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरत समय ध्यान रखें किसी भी बोरी का वनज 1 क्विंटल से अधिक नहीं हो।
11	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही होगा।
12	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जायेगी।
13	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मैनेहर की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा।
14	सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदादाता स्वयं को करनी होगी।
15	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अन्तिम होगा जो कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
16	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
17	जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
18	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं केन्द्र की थ्रेसर उपलब्ध नहीं होने पर निविदादाता को अपने खर्चे से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा। केन्द्र द्वारा थ्रेसर मशीन उपलब्ध कराना बाध्य नहीं है।
19	फार्म की फसलों की रखवाली दिन–रात की निविदादाता द्वारा की जावेगी। केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
20	सफल निविदादाता के दस रूपये के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर शपथ देना होगा।
21	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आस पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
22	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता